



भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सं. सीपज़-सेज़/संपदा/टीआईए/199/2017-18/14110

दिनांक: 29.5.2018

विषय: सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए के लिए सीएजी नामिकागत सनदी लेखाकार की नियुक्ति।

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण जोकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, नामिकागत सनदी लेखाकारों से वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य-क्षेत्र के अनुसार मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है।

➤ **कार्य का क्षेत्र:**

1. आय, वार्षिक बजट, किराया, गेट पास, जुमाना तथा अर्थदंड, कबाड़, अतिथिगृह, सम्मेलन हॉल तथा विविध आदि के विवरणों सहित आंतरिक लेखा परीक्षा तथा बहीखाताओं का सत्यापन।
2. व्ययों का सत्यापन।
3. परियोजनाओं तथा अनुरक्षण कार्यों से संबंधित व्यय।
4. व्यवस्थित रूप से त्रुटियों का पता लगाना तथा सुधारात्मक उपाय सुझाना।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाला अन्य कोई कार्य।
6. कार्य-क्षेत्र के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के सचिव, श्री वी.पी. शुक्ल से लिया जा सकता है।
7. विभागीय भुगतान, कार्यप्रणाली भुगतान के लिए पूर्व लेखा परीक्षा के लिए जांच-सूची तैयार करना।

➤ **कोटेशन प्रस्तुत करने की क्रियाविधि:**

1. कोटेशन दो बोली प्रणाली में निम्नानुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं।

लिफाफा 1 जिसके ऊपर "तकनीकी कोटेशन" लिखा गया हो, में उपपैरा III में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ रखे जाएं।

लिफाफा 2 जिसके ऊपर "वित्तीय कोटेशन" लिखा गया हो, में उपपैरा IV में यथाउल्लिखित कोटेशन मूल्य रखा जाए।

2. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हो, **"वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए कोटेशन"**। यह लिफाफा प्रबंधक (संपदा), सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, सीपज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 को संबोधित किया जाए।
3. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में **दिनांक 18.06.2018 को 14.30 बजे तक** डाक/कूरियर द्वारा अथवा स्वयं आवेदक द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा यह भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग के निकट रखी निविदा पेटी में डाला जा सकता है।
4. कोटेशन जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
5. कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा इन पर सील लगाई जाए तथा ये मुद्रित रूप में पूर्ण हों।
6. कोटेशन का प्रत्येक पृष्ठ जिसमें समर्थक दस्तावेज़ आदि भी शामिल हैं, पर बाएं हाथ के कोने में सबसे नीचे विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए।
7. कोटेशन के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार/विलोप/परिवर्धन/लिप्त लेखन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. कोटेशन पर फर्म के प्राधिकृत भागीदार/स्वामी द्वारा हस्ताक्षर अवश्य किए जाएं।
10. आवेदक शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे। यदि शब्दों में दरें, अंकों में उल्लिखित दरों से भिन्न होंगी, तो इनमें से जो भी दर कम होगी, वही सही दर माना जाएगा।
11. कोटेशन के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में "सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" के पक्ष में मुंबई में देय किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित **25,000/- रूपए (पचीस हजार रूपए मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रस्तुत किया जाए। नकद भुगतान, चेक तथा भुगतान का अन्य कोई तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. कोटेशन खोले जाने के समय आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

11/6/18


13. समिति यदि चाहे, तो कोटेशन की पात्रता निर्धारण के मामले में बिना कोई कारण बताए इसकी शर्त अथवा शर्तें शिथिल कर सकती है, संशोधित कर सकती है। कोटेशन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किसी प्रकार की पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. चयन के पूर्व फर्म की तकनीकी सक्षमता/अवसंरचना सुविधा अभिनिश्चित की जाएगी।
15. ईएमडी तथा उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले कोटेशन संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
16. सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय आवेदकों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
17. कोटेशन वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

➤ कोटेशन का खोला जाना:

1. लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो, "तकनीकी कोटेशन" दिनांक 18.06.2018 को 16.00 बजे, विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ल-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-96 के सम्मेलन हॉल में आवेदक तथा अथवा उनके प्रतिनिधि(यों) जो प्राधिकृत हों, के समक्ष खोला जाएगा।
2. लिफाफा 2 जिसके ऊपर लिखा गया हो, "वित्तीय कोटेशन" केवल पात्र आवेदकों के लिए खोला जाएगा।
3. लिफाफा 2 जिसके ऊपर लिखा गया हो "वित्तीय कोटेशन" के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो "तकनीकी कोटेशन" के खोले जाने के समय सफल आवेदकों को दी जाएगी।
4. समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी कोटेशनों का मूल्यांकन किया जाएगा, दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का चयन करेगी।

➤ तकनीकी कोटेशन के आधार पर पूर्व अर्हता का मानदंड:

फर्मों द्वारा प्रस्तुत लिफाफा 1 जिसके ऊपर "तकनीकी कोटेशन" लिखा गया हो, में निम्नलिखित दस्तावेज़ रखे जाएं ताकि इनके आधार पर "तकनीकी पात्रता" का निर्धारण किया जा सके तथा इन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है अन्यथा वे सरसरी तौर पर अयोग्य हो जाएंगे।



1. "सीप्लज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 25,000/- (पचीस हज़ार रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी)।
2. आवेदक का दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार सनदी लेखाकार फर्म (भागीदारी/स्वामित्व) का होना, जिसमें 2 सनदी लेखाकार कर्मचारी हों, आवश्यक है।
3. फर्म का इस क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव हो।
4. सनदी लेखाकार संस्थान के अभिलेख के अनुसार फर्म का कार्यालय मुंबई अथवा इसके उपनगरीय जिले में अवश्य हो।
5. फर्म भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के साथ नामिकागत हो।
6. फर्म का वित्त वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में टर्नओवर 25 लाख रूपए से कम न हो।
7. आवेदक फर्म को केंद्रीय सरकार /राज्य सरकार / राज्य सरकार उपक्रम में आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्त जानकारी तथा अनुभव अवश्य हो। फर्म को पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार/ केंद्रीय सरकार स्वायत्तशासी / महाराष्ट्र सरकार / महाराष्ट्र सरकार स्वायत्तशासी निकाय आंतरिक लेखा परीक्षा का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव अवश्य हो। अनुभव के प्रमाण के रूप में कार्य-आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जानी आवश्यक है।
8. फर्म के पैन, जीएसटी तथा पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रतिलिपियां।
9. प्राधिकरण के कार्यालय-समय के दौरान दैनिक पूर्णकालिक समय के लिए एक सनदी लेखाकार कर्मचारी तथा दो अर्ध योग्यता वाले सहायकों (आर्टिकल/ऑडिट सहायक को छोड़कर) का उक्त कार्यों के लिए परिनियोजित किया जाना आवश्यक है। कार्य प्रारंभ किए जाने के पूर्व प्राधिकरण को लिखित रूप में परिनियोजित किए जाने वाले कार्मिकों के नाम तथा उनकी योग्यताओं की सूचना दी जानी आवश्यक है तथा प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इनके कार्यों की निगरानी दैनिक आधार पर फर्म के वरिष्ठ भागीदार/स्वामी द्वारा की जाएगी। जब कभी विभिन्न बैठकें बुलाई जाएंगी उनमें भागीदार/स्वामी का भाग लेना आवश्यक होगा।
10. कोटेशन के साथ फर्म द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें कोटेशन के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो।
11. इस आशय का वचन-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा आपके फर्म को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।




➤ अन्य निबंधन तथा शर्तें

1. सफल आवेदक को कार्य-क्षेत्र में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करनी होंगी, ऐसा न किए जाने पर इस ठेके/कार्य आदेश का भंग किया जाना समझा जाएगा तथा ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह ठेका/कार्य आदेश बिना कोई कारण बताए रद्द कर दे/समाप्त कर दे तथा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. सफल आवेदक को आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध करानी होगी तथा उनका पूरा विवरण जिसमें उनके नाम तथा पते दिए गए हों, संपदा प्रबंधक, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।
3. तैनात किए जाने वाले कार्मिकों/कर्मचारियों के पास आवश्यक अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए।
4. इस प्रकार तैनात किए जाने वाले कार्मिकों/कर्मचारियों को सभी नियमों तथा विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा उन्हें कार्यालय समय के दौरान अनुशासन भी बनाए रखना होगा।
5. सफल आवेदक इस प्रयोजन के लिए तैनात किए जाने वाले कार्मिकों/कर्मचारियों को सभी प्रकार के भुगतान/दियों के लिए जिम्मेदार होगा। सफल आवेदक इस संबंध में अपने कार्मिकों/कर्मचारियों के किसी भी दावे की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्राधिकरण के प्रति जिम्मेदार होगा।
6. प्राधिकरण को सफल आवेदक अथवा उसके कार्मिकों/कर्मचारियों की ओर से किसी तकनीकी तथा/अथवा प्रक्रियात्मक चूकों के कारण होने वाली वित्तीय हानि अथवा क्षति की पूर्ति सफल आवेदक को करनी होगी।
7. सफल आवेदक द्वारा तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों के छुट्टी अथवा अनुपस्थित रहने पर सफल आवेदक को उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर उपर्युक्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
8. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निबंधन तथा शर्तों अथवा दिए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के उल्लंघन किए जाने अथवा भंग किए जाने अथवा सफल आवेदक द्वारा अपने कार्मिकों/कर्मचारियों के संबंध में तथ्य छिपाए जाने के कारण कार्य आदेश/ठेका बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है/ समाप्त किया जा सकता है।
9. सफल आवेदन को बिल प्रस्तुत किए जाने तथा प्राधिकरण को संतोषजनक सेवा प्रदान किए जाने पर मासिक के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
10. यदि, कार्य-क्षेत्र के अनुसार सेवाओं के अनुपालन / कार्यनिष्पादन में कोई विलंब होता है तो ऐसे विलंब के लिए सफल आवेदक पर प्रतिदिन के हिसाब से रु. 1000/- (रुपये एक हजार) के अर्थदंड लगाया जाएगा।



11. सफल आवेदक को कार्य आदेश प्राप्त करने की तारीख से तीन दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ऐसा न करने पर जारी किया जाने वाला कार्य आदेश रद्द समझा जाएगा।
12. कोटेशन हस्तांतरणीय नहीं है, सफल आवेदक किसी भी मामले में कोई उप ठेकेदार अथवा अन्य कोई संगठन को नियुक्त नहीं करेगा तथा उसे अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. रु. 5.00 लाख की निष्पादन सुरक्षा, अनुबंध अवधि के लिए, प्राप्त होने पर सफल आवेदक की ईएमडी वापस की जाएगी। कोटेशन दस्तावेज़ में उल्लिखित निबंधन तथा शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यह जब्त कर लिया जाएगा। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल आवेदकों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
14. चयनित फर्म को प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा जो संतोषजनक निष्पादन तथा प्राधिकारी के एकमात्र विवेक के अधीन वार्षिक आधार पर 10% वृद्धि के साथ बढ़ाया जा सकता है।
15. यदि सफल आवेदक की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो प्राधिकरण के पास ठेका अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
16. कार्य आदेश/ठेका के समाप्त किए जाने/रद्द किए जाने पर सफल आवेदक क्षतिपूर्ति, नुकसान अथवा किसी अन्य रूप में किसी राशि, राशियों के लिए हकदार नहीं होगा।
17. ठेका/कार्य आदेश की अवधि के दौरान यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियां सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका निपटारा करने का प्रयास करेंगी। यदि ऐसे विवाद/मतभेद, अपालन अथवा गैर अदायगी जैसे मामले उचित समय-सीमा के अंदर आपस में मिल जुलकर नहीं निपटाए जा सकें, तो ऐसी स्थिति में इन्हें माध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विद्यमान किसी अन्य विधि के अधीन माध्यस्थता के लिए विचारार्थ भेजा जाएगा। ऐसे मामला माध्यस्थता के लिए एकल माध्यस्थ को विचारार्थ भेजा जाएगा तथा एकल माध्यस्थ की नियुक्ति सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा की जाएगी तथा यह माध्यस्थता मुंबई शहर में सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा निश्चित स्थान पर होगी। एकल माध्यस्थ का निर्णय सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।


(महेश यादव)
संपदा प्रबंधक
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

तकनीकी बोली फॉर्मेट

1. फर्म का नाम:
2. पता पिन कोड सहित
3. संपर्क नंबर अर्थात मोबाइल, लैंडलाइन
4. ई-मेल
5. 25,000/- रूपए की बयाना राशि
6. फर्म के जीएसटी पंजीकरण तथा पैत्र की प्रतिलिपि
7. सी एंड एजी नामिकायन की प्रतिलिपि
8. आइसीएआइ में पंजीकरण की प्रतिलिपि
9. पीछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए आयकर की प्रति
10. फर्म का इस क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव हो (प्रमाण संलग्न करें)
11. फर्म का टर्नओवर वित्त वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए 25 लाख से कम न हो (प्रमाण संलग्न करें)
12. फर्म को पिछले 10 वर्षों के दौरान कम से कम 05 वर्षों का केंद्रीय सरकार/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकाय में आंतरिक लेखा परीक्षा का अनुभव हो।
13. कार्यालय मुंबई में अवश्य हो।
14. 100/- रू. के गैर ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर इस आशय का विधिवत नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि फर्म/कंपनी किसी केंद्रीय/राज्य सरकार/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
15. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप-ठेके पर देगा। वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेजों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा।
16. बोलीदाता/फर्मों द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें निविदा दस्तावेजों के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो।

(नोट- संबंधित पात्रता मानदंड के साथ सभी समर्थक दस्तावेज विधिवत प्रमाणित तथा क्रम से संख्यांकित करके ही प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं।)

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हम उपर्युक्त कार्य के लिए पात्र हैं तथा हमने निविदा में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तों को समझ लिया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
फर्म का नाम:
फर्म का पता:



वित्तीय बोली फॉर्मेट

कोटि	12 महिनों के लिए शुल्क (भारतीय रूपयों में)
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण में वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए वृत्तिक शुल्क	

*वित्तीय कोटेशन एक वर्ष के लिए दो लाख रूपए से कम न हो।

* कोट किए जाने वाले कुल शुल्क में वृत्तिक शुल्क, फुटकर खर्च तथा जीएसटी शामिल किया जाए। प्राधिकरण वित्तीय प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट अन्य कोई दावा अथवा शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। प्राधिकरण द्वारा समय लंघन के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

फर्म का नाम:

फर्म का पता:



भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/TIA/199/2017-18/14110

Date: 29.05.2018

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Appointment of CAG Empanelled Chartered Accountant Firm for Internal Audit of SEEPZ-SEZ Authority for F.Y. 2017-18 & 2018-19.

The SEEPZ-SEZ Authority, an autonomous body under Ministry of Commerce and Industry, Government of India invites sealed quotations from Empanelled Chartered Accountant for Internal Audit in SEEPZ-SEZ Authority for F.Y. 2017-18 & 2018-19, as per following Scope of Work.

➤ SCOPE OF WORK:

1. Verification of Book Keeping including statement of Income, Annual Budget, Rent, Gate Pass, Fine & Penalty, Scrap, Guest House, Conference Hall and miscellaneous etc.
2. Verification of Expenditure
3. Expenditure on the projects as well as maintenance work
4. Find out systematic weakness and suggest corrective measures.
5. Any other work assigned by Competent Authority.
6. Any clarification of Scope of Work can be taken from Shri VP. Shukla, Secretary, SEEPZ-SEZ Authority.
7. Preparation of standard list of departmental clearance, procedural clearance for pre-audit.

➤ PROCEDURE FOR SUBMISSION OF QUOTATION:

1. The Quotations should be submitted in two bid systems in two separate envelopes as under:

Envelope 1 superscribed "**Technical Quotation**" should contain the documents required for Technical Eligibility, as stated in sub-paragraph III.

Envelope 2 superscribed "**Financial Quotation**" should contain the documents value as stated in sub-paragraph IV.

2. Both sealed envelopes should be submitted together in larger cover superscribed as "**QUOTATION FOR INTERNAL AUDIT IN SEEPZ-SEZ AUTHORITY FOR F.Y. 2017-18 & 2018-19**" on the top addressing to "**The Manager (Estate), SEEPZ-SEZ Authority, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai- 400096.**"
3. The sealed envelope mentioned above will be received by this office up to 14.30 hrs. on 18.06.2018, by post / courier by the applicant personally or through his authorized representatives or the same can be dropped in the Tender box kept on the ground floor, near Inward Section especially for Quotations.
4. Quotations received late, unsealed and without superscription are liable to be rejected.
5. The quotations shall be duly signed with seal and complete in the printed form.
6. Every page of the Quotation, including the supporting documents etc. shall be duly signed in the bottom at left hand corner.
7. Every correction / deletion / addition / overwriting in respect of the quotation shall be signed by Applicant.
8. Incomplete, ambiguous and conditionals quotations will not be entertained.
9. The quotation must be signed by the authorized partner / proprietor of the firm.
10. The Applicant should quote the rates in words and in figures; if the rates quoted in words differ from the rate quoted in figures, the lowest of the two will be taken as correct rate.



- 335
11. The quotation should be accompanied by Earnest Money Deposit (EMD) for Rs. **25,000/- (Rupees Twenty-five Thousand only)** in the form of Demand Draft / pay order, drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of "**SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund**" payable at Mumbai. **Cash payment, cheque and other mode of payment shall not be accepted.**
 12. The Applicant may represent themselves personally or through authorized representative, if any, at the time of opening of quotation.
 13. The committee may, if so desire relax / amend one or other condition to determine eligibility of the quotation without assigning any reason, thereof. Any enquiry, after submission of the Quotation, shall not be entertained.
 14. The technical competence / infrastructure facilities of the Firm will be ascertained before Selection.
 15. *The Quotations not accompanied by EMD and the required documents mentioned, above will be summarily rejected.*
 16. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to reject any or all quotations at any time / stage, without assigning any reasons whatsoever and the decision of the SEEPZ-SEZ Authority shall be final and binding on all the applicants.
 17. *In case of the withdrawal of the quotation, the EMD will be forfeited.*

➤ **OPENING OF QUOTATION:**

1. The ENVELOPE 1 superscribed "**Technical Quotation**" will be opened **at 16.00 hrs. on 18.06.2018**, in the Conference Hall of Development Commissioner's Office, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai-96 in the presence of applicant and or their representative(s) who authorized".
2. ENVELOPE 2 superscribed "**Financial Quotation**" will be opened only for eligible applicants.



3. The date and time for opening the ENVELOPE 2 superscribed '*Financial Quotation*' will be intimated to the successful applicant at the time of opening the ENVELOPE 1 superscribed '*Technical Quotation*'.
4. All Quotation would be evaluated by the Committee, on the basis of documents, provided for Technical eligibility. After scrutinizing the documents, the Committee shall select the eligible bidder.

➤ **CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION ON THE BASIS OF THE TECHNICAL QUOTATION:**

ENVELOPE 1 superscribed '*Technical Quotation*' submitted by the firms should contain the following documents to determine the technical eligibility and must satisfy the criteria failing which they will be summarily disqualified.

1. Earnest Money Deposit (EMD) for ***Rs. 25,000/- (Rupees Twenty-five thousand Only)*** in the form of demand Draft / pay order drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of "**SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund**" payable at **Mumbai**.
2. The applicant must be a Chartered Accountant Firm (partnership/proprietorship) having **2 Chartered Accountant employees** as on 31.03.2018.
3. The firm should be in practice for more than 10 years.
4. The firm must have office in Mumbai or sub-urban district as per CA Institute record.
5. The firm is empanelled with C&AG of India.
6. Turnover of the firm is **not less than Rs. 25.00 lakhs for financial year 2016-17 & 2017-18.**
7. The applicant firm must have sound knowledge and experience of Internal Audit in Central Government / State Government / State Government undertaking. The firm must have minimum 5 years' experience during last 10 years of Internal Audit in Central

334

Government / Central Government Autonomous Body / Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Body. Copy of work order needs to be enclosed as proof of experience.

8. Copy of PAN, GST, Income Tax Returns of the firm for last three years should be enclosed.
9. **One Chartered Accountant and two Semi Qualified Assistants (other than Article / Audit assistants), needs to be deployed for the assignment on full time daily basis during office hours of Authority.** Name and qualification of the personnel deployed needs to be informed to the Authority in beginning of the assignment and they shall not be changed without the prior permission of the Authority. The work shall be supervised by the senior partner / proprietor of the firm on day to day basis. Partner / proprietor needs to attend various meetings as and when called for.
10. A copy of the acceptance of terms and conditions duly signed by the firm in token of having understood and agreed to the same should be attached along with the quotation.
11. An undertaking stating that he has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Government / semi-Government / Public Sector undertaking.

➤ **OTHER TERMS AND CONDITIONS:**


1. The successful applicant shall render the services as mentioned in the scope of work, failing which the same will be treated as breach of contract / work order and in that case the Authority will have the right to cancel / terminate the contract / work order, without assigning any reason and EMD amount will be forfeited. No representation will be entertained in this regard.
2. The successful applicant shall provide the required manpower and its full particulars including the names and address to the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.
3. The personnel / employees deployed shall have the required qualification and experience.



4. The personnel / employees so deployed shall comply with all the rules and regulations and the guidelines provided by the Authority from time to time and further ensure to maintain the discipline during working hours.
5. The successful applicant shall be solely liable for all the payments / dues of the personnel / employees so deployed by him. The successful applicant shall at all time keep the authority indemnified against any claim from its personnel / employees in this regard.
6. Any financial loss or any damage sustained to the Authority due to any technical and / or procedural lapses on the part of successful applicant or his personnel / employees, the same shall be recovered by the Authority from the successful applicant.
7. In the event of person deputed by successful applicant being on leave / absent shall ensure suitable alternative arrangement to make up for such absence.
8. Any violation or breach of terms and conditions or instruction / guidelines provided by the Authority or suppression of facts on the part of successful applicant or his personal / employees will attract cancellation / termination of the work order / contract without any reason and notice period.
9. Payment to the successful applicant shall be made on monthly basis on submission of bill and on rendering satisfactory service to the Authority.
10. In case of any delay caused in compliance / performance of the services according to the scope of work, penalty of ***Rs. 1,000/- (One Thousand)*** for such delay will be imposed to successful applicant on daily basis.
11. The successful applicant shall give the acceptance within *three days* from the date of receipt of the work order, failing which the work order issued will be treated as cancelled.
12. The quotation is not transferable. The successful applicant shall not engage to any sub-contractor or any other organization in any matter and also not permitted to transfer his rights and obligations.



13. EMD of the successful applicant will refund after receipt of Performance Security @ Rs. 5.00 lakhs, for the contract period. This will be forfeited for non compliance of the terms & conditions of the contract / work order. This amount will not bear any interest. The EMD of unsuccessful bidders will be refunded.
14. The selected firm would be initially appointed by the authority for one year and may be extended up to three years with increase of 10% in fees every year subject to satisfactory performance and at the sole discretion of the authority.
15. If the services of the successful applicant are not found to be satisfactory, the Authority reserves the right to terminate or cancel the work order at any time during the currency of the contract period without assigning any reasons.
16. On termination or cancellation of work order / contract, the successful applicant shall not be entitled for any sum or sums, whatsoever, from the Authority by way of compensation, damages or otherwise.
17. In case of any dispute arising during currency of the contract / work order, the parties shall try to amicably settle and resolve the same. In the event, where such dispute, differences, non-compliance or non-payment cannot be mutually resolved within a reasonable time, the same shall be referred to Arbitration under the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any other law prevailing for the time being in force. Such matter shall be referred to Arbitration by a sole arbitrator and the sole arbitrator shall be appointed by the SEEPZ SEZ Authority and shall be held in the city of Mumbai at the place and venue as decided by SEEPZ-SEZ Authority in English language. The decision of the sole Arbitrator shall be binding on the parties.



(Mahesh Yadav)

Estate Manager
SEEPZ-SEZ Authority

ANNEXURE - A

TECHNICAL BID FORMAT

1. Name of the Firm:
2. Address with PIN Code:
3. Contact Nos. i.e. Mobile, Landline:
4. Email:
5. EMD of Rs. 25,000/-.
6. Copy of PAN & GST registration of the firm.
7. Copy of C&AG empanelment.
8. Copy of registration in ICAI.
9. Copy of Income Tax paid during last 3 years.
10. Overall experience of 10 years (attach proof)
11. Turnover of the firm should not be less than 25.00 lakhs for financial year 2016-17 & 2017-18 (attach proof).
12. Experience of minimum 5 years' during last 10 years of Internal Audit in Central Government / Central Government Autonomous Body / Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Body. (attach proof)
13. Principal place of business should be Mumbai.
14. Affidavit duly notarized on Rs. 100/- non-judicial stamp paper to the effect that the *"firm/company has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Central/State Govt./Semi-Govt./Public Sector Undertaking"*.
15. An undertaking stating that the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.
16. Self declaration of Acceptance of Terms and Conditions duly signed by the bidder/firm(s) in token of having understood and agreed must be attached.

(Note - All the supportive documents need to be submitted duly certified and numbered sequentially with respective eligibility criteria)

We hereby certify that we are eligible for the above work and understood all the terms and conditions mentioned in the tender.

Signature of the Authorized signatory

Name:

Designation:

Name & Address of the firm:



ANNEXURE - B

FINANCIAL BID FORMAT

Category	Fees for 12 months (INR)
Professional fee for Internal Audit in SEEPZ-SEZ Authority for the <u>F.Y. 2017-18 & 2018-19</u>	

** Total fees quoted shall be inclusive of professional fees & out of pocket expenses and inclusive of GST. The authority shall not entertain any other claims over and above the fees specified in the financial proposal. No additional fees will be paid by the authority for time over run.*

Signature of the Authorized signatory

Name:

Designation:

Name & Address of the firm:

